98/115 I-10799/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

महावीर

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: हसनपुर सोवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या– 178
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.0603 हेक्टेअर

महावीर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
8.	बोरिंग/कुआ/अन्य	: नहीं
9.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 1,48,865/-
10.	मालियत	: रू0 11,45,700/-
11.	स्टाम्प	: रू0 80,220/-

चौहद्दी

खसरा न0 178

पूरब : खसरा संख्या-423

पश्चिम : खसरा संख्या-185

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर : खसरा संख्या–179

दक्षिण : खसरा संख्या–176 व 177

प्रथम पक्ष की संख्या–01		द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
राम नरेश पुत्र कृपाल, निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	महावीर पुत्र श्री राम चरन निवासी–मकान नं0 197, थोकचन्द ग्राम ज्योति, जिला–हमीरपुर, उ0प्र0। व्यवसाय – कृषि

राम नरेश

महावीर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम नरेश पुत्र कृपाल, निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् महावीर पुत्र श्री राम चरन निवासी–मकान नं0 197, शोकचन्द ग्राम ज्योति, जिला–हमीरपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

राम नरेश

महावीर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 839041

25 MAY 201

-5-

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–178 रकबा 0.1810 हेक्टेअर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.0603 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम–हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00204 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर

महावीर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 839042

2 5 MAY 2010

जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवीं या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु

महावीर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 546479

विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 1,48,865/- (रूपया एक लाख अड़तालिस हजार आठ सौ पैसठ मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता

महावीर

यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वाामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेगा एवं न ही कोई मांग कर सकेगा। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

श्याम नारा

महावीर

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है, चूंकि विक्रीत भूमि 5 बिस्वा से कम है इसलिए आवासीय दर रू0 1900/- प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रीत भूमि 0.0603 हेक्टेअर यानि 603 वर्गमीटर की मालियत रू0 11,45,700/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार मालियत पर ही रू0 80,220/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व

A ह्
रामनरेश

महावीर

जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता सभी अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–178 रकबा 0.1810 हेक्टेअर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.0603 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता को रू0 1,48,865/– (रूपया एक लाख अड़तालिस हजार आठ सौ पैसठ मात्र) द्वारा चेक संख्या– 363560 दिनांकित 04.06.2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त हुए।

नि० अं०

राम नरेश

महावीर

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 1,48,865/– (रूपया एक लाख अड़तालिस हजार आठ सौ पैसठ मात्र) विक्रेता ने क्रेता प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

<u>नोट :</u> पृष्ठ संख्या–10 पर चेक संख्या पेन से लिखी गई है।

लखनऊ
दिनांक : 04.06.2010
<u>गवाहान</u>

1. B. R. Sharma
S/o L. A. R. Sharma
18. M. M. Marg.
Lucknow

2. रवि यादव S/o तुलसी राम
अर्जुनगंज शाहखेड़ा

राम नरेश

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

यू0एस0-12 यूनिवर्सल काम्पलेक्स
निबन्धन कार्यालय के सामने,
कैसरबाग, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(मोहित मिश्रा)
एडवोकेट

विक्रीत भूमि का नक्शा

विक्रेता का नाम - राम नरेश पुत्र कृपाल

क्रेता का नाम - महावीर

खसरा संख्या- 178

ग्राम का नाम - हसनपुर खेवली प० बिजनौर त० व जि० लखनऊ

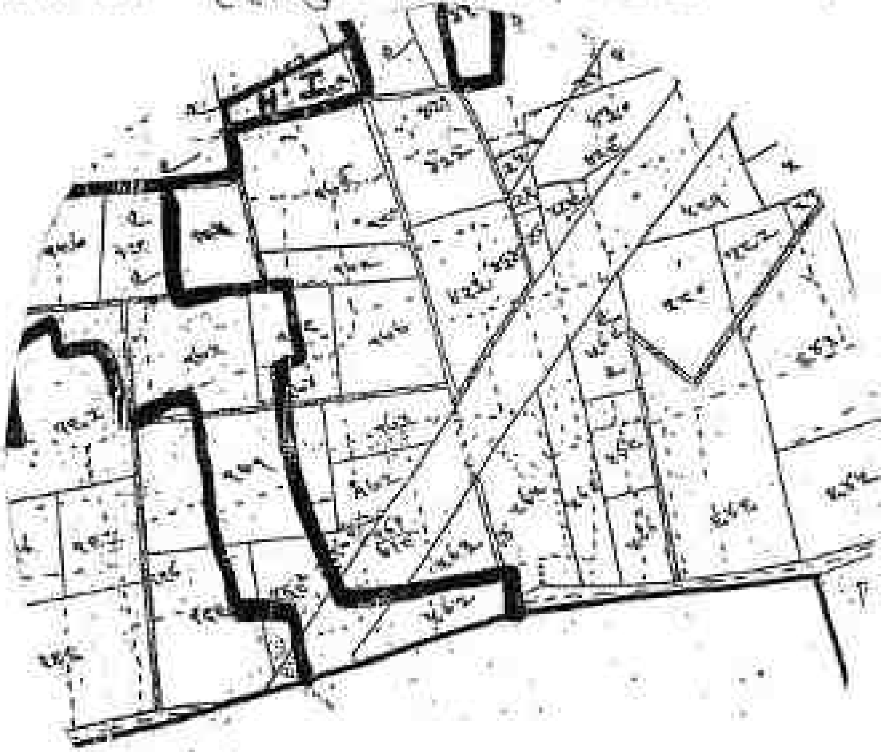

सीमा

विक्रेता

क्रेता

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस्

<u>विक्रेता का नाम व पताः-</u> राम नरेश पुत्र कृपाल, निवासी-ग्राम हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

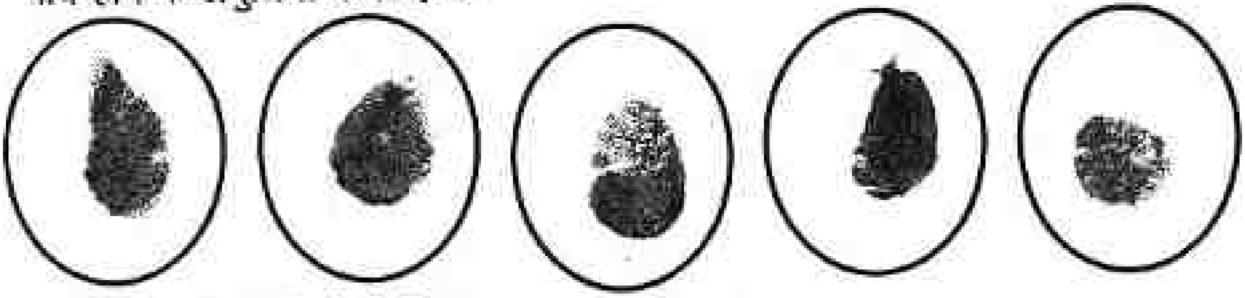

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

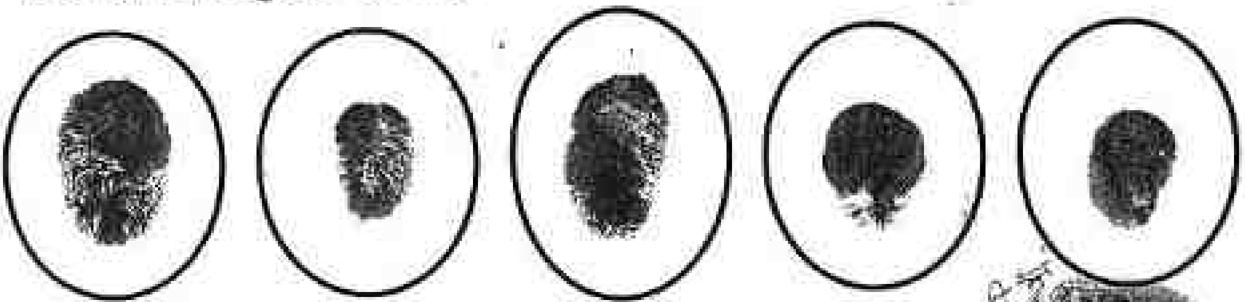

राम नरेश

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता-महावीर पुत्र श्री राम चरन निवासी-मकान नं0 197, थोकचन्द ग्राम ज्योति, जिला-हमीरपुर, उ0प्र0

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

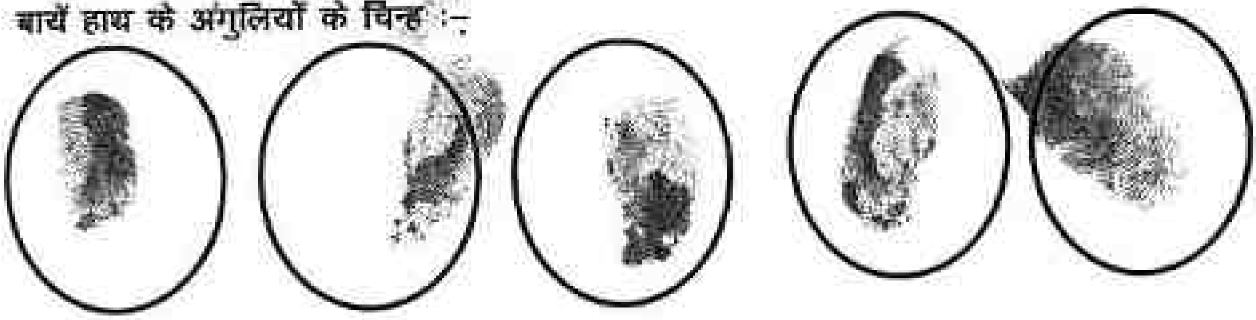

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

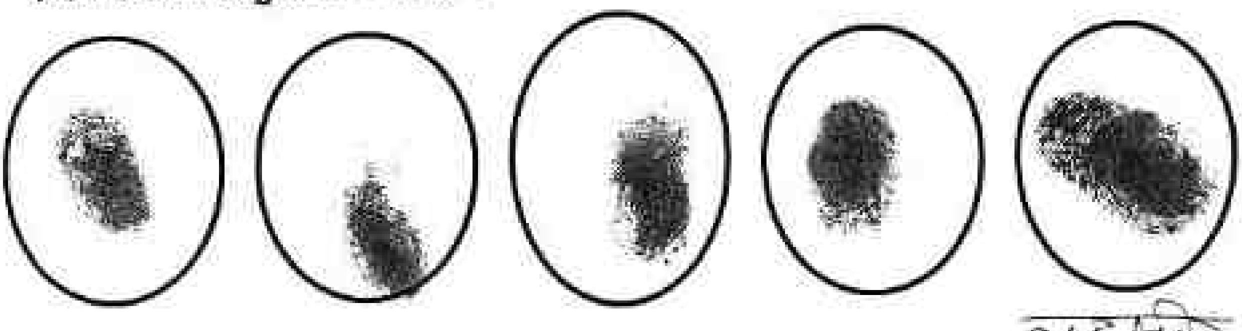

महावीर

क्रेता के हस्ताक्षर

...ক দিনাঙ্ক 4-6-10 কো 11608
... I ... 10799
... 325 | 360 ... [illegible]
রজিস্ট্রী [illegible] কিয়া [illegible]